

1731/19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802 11 MAR 2019 6802
उप-कानपुर, फिरोजाबाद

AM 6802



लीज डीडी/
30 वर्ष 180000/

स्टाम्प
3600/

मौजा
नगला धीर

बहक
द्वितीय पक्ष

हम कि सुमनप्रकाश महाविद्यालय नगला किशनसिंह पुल खडीत जसराना फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक/सचिव अनूप कुमार जैन पुत्र स्व० श्री संपतलाल जैन निवासी पुरानी बस्ती जैन मंदिर मु० सराय हाउस नं० 2 एटा तहसीले व जिला एटा प्रथम पक्ष मालिक जायदाद लीज पर देने वाले मोबा० नं० 8077652919 आई डी नं० 598435737764 व स्व० सुमनप्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी मधीपुर पोस्ट वैदत जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक अनूप कुमार जैन पुत्र स्व० श्री संपतलाल जैन निवासी पुरानी बस्ती जैन मंदिर मु० सराय हाउस नं० 2 एटा तहसील व जिला एटा मो० नं० 8077652919 आई डी नं० 598435737764 द्वितीय पक्ष लीज पर लेने वाले

अनूप कुमार जैन

सं० श्री सुमन प्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी
ग्राम-मधीपुर पो-वैदत जिला फिरोजाबाद (उ०प्र०)

अनूप कुमार जैन

64

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802
11 MAR 2019
उप-कोबागार, शिकोहाबाद

AW 6458

वृद्धित हे कि एक किता जगह 87000² रू. हजार वर्गफीट मौकूआ खेत नम्बर 259
रूकवा 0.809 है जो आबादी घोषित है स्थिति मौजा नगला धीर परगना मुस्तफाबाद तहसील
जसराना जनपद फिरोजाबाद जिसका प्रथम पक्ष एक मात्र व तन्हा मालिक व काबिज दखील ।
किसमे मुझ प्रथम पक्ष का कोई साझीदार भागीदार व नही है। चूंकि उपरोक्त लिखी भूमि एवं
भवन और खाली जगह मुझ प्रथम के किसी प्रयोग में नही आ रही है और द्वितीय पक्ष उपरोक्त
लिखी जगह व भवन व खाली जगह को लीज पर लेने को तैयार है इस कारण हम दोनो पक्ष
के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत पाबन्द होते हुए यह लीज डीड तहरीर करते है और लिखे
देते है कि लीज डीड की प्रत्येक शर्त की पाबन्दी हम दोनोपक्ष तथा हमारे वारिसान पर अनिया
लागू होगी । शरायत इस प्रकार है कि 1-यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त लिखे
जगह व भवन व खाली जगह स्थिति नगला धीर तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद क
द्वितीयपक्ष को दिनोंक 11 ग्यारह मार्च 2019 से दिनोंक 11 ग्यारह मार्च 2049 तक के लिये यानी 3

अ. सुकुमारजी

Handwritten signature

हमारे पुत्र प्रकाश सुकुमार एवं वैशाली सुकुमार
पुत्र-मोहन के-पेठा जिला फिरोजाबाद (उत्तर)

अ. सुकुमारजी

65

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEE

रु.1000

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802
11 MAR 2019
6802
उप-कोषागार, शिकोहाबाद

3

तीस वर्ष लीज के लिए लीज पर देने का अनुबंध किया है और बावत लीज शुदा कब्जा व दख जगह पर द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है। 2-यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिख जगह व खेवन व खाली जगह पर लीज दिनांक से 30 वर्ष तक पूर्णतया अधिकारी रहेगा। 3- य कि द्वितीय पक्ष तान्या स्व० सुमन प्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी ग्राम मधीपुर पोस्ट पेंडत तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक - अनूप कुमार जैन पुत्र स्व० संपतलाल जैन निवासी पुरानी बस्ती जैन मंदिर मु० सराय हाउस नं० 2 एटा तहसील व जिला एटा चला समस्त कर्तवाही पूरी कर शैक्षणिक संस्थान से संबंधित लीज शुदा जगह को शैक्षणिक संस्थान व कार्यों में ही प्रयोग कर सकेगा। 4-यह कि द्वितीय पक्ष लीजशुदा जगह पर अपनी सुविधा अनुसार स्थाई व अस्थायी निर्माण कर सकेगा जिसमें प्रथम पक्ष की रजामंदी की आवश्यकता नहीं होगी। 5- यह कि लीज करार/लीज अवधि 30 वर्ष से पूर्व नहीं समाप्त होगी। 6- यह कि लीज की अवधि


Handwritten signature
अभिषेक

अनूप कुमार जैन - तान्या स्व० सुमन प्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी
ग्राम मधीपुर पोस्ट पेंडत तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद (उ०प्र०)
Handwritten signature

66



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



4

सीमा समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह को खाल कर प्रथम पक्ष को कब्जा व देखल सौंप देगा और ना ही किसी अन्य प्रकार की कोई दावेदार करेगा और यदि करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत लीज शुदा भूमि खाली करा लेवे जिसके समस्त हर्ज खर्च को देने का मुस्तहिक द्वितीय पक्ष होगा। 7- यह कि द्वितीय पक्ष यदि व्यवसाय करने हेतु किसी संस्था या साहूकार या बैंक आदि से कर्जा लेता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी कर्ज लेने वाले की होगी एवं साहूकार का लीजशुदा जायदाद से कोई सरोकार नहीं होगा। यदि साहूकार या बैंक लीजशुदा जायदाद पर कब्जा करते है तो उसे अर्क समझा जावेगा। यह भी विदित रहे कि प्रबन्धक अनूप कुमार जैन को प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्य की बैठक द्वारा लीज एवं सभी कार्य करने के लिये चुना गया है। अतः हम दोनों पक्षों ने खूब सोच समझकर स्थिर बुद्धि की पूर्ण सचेत दशा में यह लीज बीड अवधि तीस वर्ष लिख दिया


 अनूप कुमार जैन
 प्रबन्धक
 31-24 कुमार जी
 प्रबन्धक एवं केन्द्रीय सचिव
 प्रबन्धक एवं केन्द्रीय सचिव (अवधि)
 31-24 कुमार जी
 (67)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802
 27 FEB 2019
 उय-कोवाज्जर, शिवाहवाज्जर

5
 कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 11 ग्यारह मार्च सन् 2019 ई0 लेखक केशव सिंह, दस्तावेज लेखक उपनिबन्धक कार्यालय परिसर जसराणा तहसील जसराणा जनपद फिरोजाबाद जिला-मेरठ-उत्तर प्रदेश। ~~...~~ नरदीयेज की यह लेखन 8900 एमटीएम लिमिटेड व एजाट एमएन कोर्ट के बीच के शब्द कोर्ट दिनांक 11-3-2019 को केशव सिंह

अनूप कुमार

अनूप कुमार



साक्षी 1:- संजय यादव पुत्र श्री राजेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम उत्तरास तहसील जसराणा जनपद फिरोजाबाद मो0न0 9719953116 आ0का0न0 932199109878

साक्षी 2:- कुलदीप पुत्र श्री अमृतसिंह निवासी ग्राम मधीपुर तहसील जसराणा जनपद फिरोजाबाद मो0न0 8923997578 वो0का0न0 डब्लूएफएच 0112888

अनूप कुमार

अनूप
अनूप
 अध्यक्ष

68



इ0 वी मुद्रा जसराणा तहसील जसराणा जनपद फिरोजाबाद जिला-मेरठ-उत्तर प्रदेश दिनांक 19-1-2019
 जसराणा तहसील (फिरोजाबाद)
 017 - 1

दिनांक 11-3-2019
पृष्ठ संख्या 100
पृष्ठ संख्या 383
दिनांक 11-3-2019

11-3-2019
100
383

आवेदन सं०: 201900773002401

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 4509 के पृष्ठ 383 से 392 तक क्रमांक 1731 पर दिनांक 11/03/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ प्रभारी
उप निबंधक : जसराणा
फैरोजाबाद
11/03/2019